रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052023-245959
CG-DL-E-19052023-245959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2023/वैशाख 29, 1945
No. 305] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2023/VAISAKHA 29, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2023

सा.का.नि. 377(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा की अंतिम परीक्षा) नियमावली, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ –** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अकादमी" से सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी अभिप्रेत है;

   (ख) "निदेशक" से अकादमी के निदेशक अभिप्रेत है;

   (ग) "परिवीक्षाधीन" से परिवीक्षा पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किंतु अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. आधारभूत पाठ्यक्रम- (1) परिवीक्षाधीनों के लिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (कॅरीकुलम) और आधारभूत पाठ्यक्रम का अध्ययन तीन भागों में होगा जिसमें भाग 1: अनिवार्य आंतरिक विषय; भाग 2: अनिवार्य बाह्री विषय; और भाग 3: अर्हक विषय, निम्नानुसार हैं:-

भाग -1: अनिवार्य आंतरिक विषय

पेपर I	भारतीय दंड संहिता, 1860 और विशेष विधियां	100 अंक
पेपर II	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	100 अंक
पेपर III	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	100 अंक
पेपर IV	अन्वेषण	150 अंक
पेपर V	न्याय संबंधी	100 अंक
पेपर VI	भारत में अपराध विज्ञान और पुलिस प्रबंधन	150 अंक
पेपर VII	दृष्टिकोण, नैतिकता और मानव अधिकार	100 अंक
पेपर VIII	आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था	150 अंक
पेपर IX	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	150 अंक
पेपर X	जिला प्रायोगिक प्रशिक्षण और चरण-II के दौरान दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन	100 अंक
	कुल	**1200 अंक**

भाग - 2: अनिवार्य बाह्री विषय

1.	शारीरिक योग्यता	120 अंक
2.	ड्रिल	80 अंक
3.	आयुध प्रशिक्षण और गोलीचालन	120 अंक
4.	योग	40 अंक
5.	निरायुध योधन	40 अंक
6.	क्षेत्र कौशल और रण-कौशल और मानचित्र पढ़ना	160 अंक
7.	अश्वारोहण	40 अंक
	कुल	**600 अंक**

भाग - 3: अर्हक विषय

1	प्रादेशिक भाषाएं और काडर अध्ययन
2	हिन्दी भाषा
3	मोटर तंत्र और चालन
4	तैराकी
5	प्राथमिक उपचार और रोगिवाहन ड्रिल

(2) उपनियम (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विषय के लिए पाठ्य विवरण निदेशक द्वारा पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व बनाया जाएगा और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

4. परीक्षा.- (1) अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आवधिक परीक्षाओं और अंतिम परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

(2) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय में आयोजित की जाने वाली आवधिक परीक्षाओं की तारीख और समय तथा पाठ्य विवरण निदेशक द्वारा ऐसी आवधिक परीक्षा आयोजित करने से कम से कम एक सप्ताह पहले अवधारित किया जाएगा।

(3) निदेशक परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) जिन तारीखों को और उन स्थानों का वह स्थल, जहां आवधिक परीक्षाएं और अंतिम परीक्षा आयोजित की जानी है , निदेशक द्वारा अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

5. **परीक्षा में अर्हक अंक.-**(1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को अंतिम परीक्षा में प्रत्येक अनिवार्य आंतरिक विषय में और प्रत्येक अनिवार्य बाहरी विषय में कुल आबंटित अंकों का न्यूनतम पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

टिप्पणी: अकादमी द्वारा अंतिम परीक्षा प्रशिक्षण के अंत में आयोजित की जाएगी जिसमें आवधिक परीक्षओं में प्राप्त किए गए अंकों को भी जोड़ा जाएगा;

(2) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्येक अर्हक विषय में प्रवीणता के ऐसे मानक प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा जैसा कि निदेशक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित करे।

6. **परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता.-** जहां कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसके मामले को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 8, नियम 9, नियम 10 और नियम 12 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 11058/05/2022-अ.भा.से.-III]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2023

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in supersession of the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.–(1)These rules may be called the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academy" means the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy;

(b) "Director" means Director of the Academy;

(c) "Probationer" means a person appointed to the Indian Police Service on probation.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Basic Course.–(1) The curriculum of training and study of the basic course for the probationers shall be in three parts containing Part I: Compulsory Indoor Subjects; Part II: Compulsory Outdoor Subjects; and Part III: Qualifying Subjects, as follows:-

Part - I: Compulsory Indoor Subjects

Paper I	Indian Penal Code,1860 and Special Laws	100 Marks
Paper II	Indian Evidence Act, 1872	100 Marks
Paper III	Code of Criminal Procedure, 1973	100 Marks
Paper IV	Investigation	150 Marks
Paper V	Forensics	100 marks
Paper VI	Criminology and Police Management in India	150 Marks
Paper VII	Attitudes, Ethics and Human Rights	100 Marks
Paper VIII	Internal Security and Public Order	150 Marks
Paper IX	Information and Communication Technology	150 Marks
Paper X	The assessment of the training imparted during District practical Training and Phase-II	100 Marks
	Total	**1200 Marks**

Part - II: Compulsory Outdoor Subjects

1.	Physical Fitness	120 Marks
2	Drill	80 Marks
3.	Weapon Training & Firing	120 Marks
4.	Yoga	40 Marks
5.	Unarmed Combat	40 Marks
6.	Field Crafts & Tactics and Map Reading	160 Marks
7.	Equitation	40 Marks
	Total	**600 Marks**

Part- III: Qualifying Subjects

1	Regional Languages and Cadre studies
2	Hindi Language
3	Motor Mechanism and Driving
4	Swimming
5	First Aid and Ambulance Drill

(2) The syllabus for each subject specified in sub-rule (i) shall be made by the Director before the commencement of courses and shall be forwarded to the Central Government for approval.

4. Examination.–(1) Every probationer during the period of basic training in the Academy shall have to appear in the periodical tests and in the final examination.

(2) Date and time and the syllabus of the periodical test to be conducted in each subject during the course of training shall be determined by the Director, at least one week in advance of conducting such periodical test.

(3) The Director shall be responsible for conducting the Examinations.

(4) The dates on which and the location of places at which the periodical tests and final examination are to be conducted shall be notified by the Director in advance.

5. Qualifying marks in the examination.– (1) Every probationer shall be required to obtain a minimum of fifty percent of the total allotted marks in each compulsory indoor subject and in each compulsory outdoor subject in the final examination.

Note: Final examination shall be conducted by the Academy at the end of the training, including the marks secured in the periodical tests;

(2) Every probationer shall also be required to obtain such standard of proficiency in each qualifying subject as the Director may determine with the prior approval of the Central Government.

6. Failure to pass the examination.– Where any probationer is failed to secure minimum qualifying marks as specified under sub-rule (1) of rule 5, his case shall be dealt with in accordance with the provisions of rule 8, 9, 10 and 12 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954.

[F. No. 11058/05/2022-AIS-III]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA